



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रारूप-5

(नियम 9 (7) देखिए)

कालोनी विकास की अनुमति

अनुज्ञा क्रं०/ 738 /2024

इन्दौर, दिनांक 16/01/25

प्र०क्रं० 857...../बी-121/2024-25

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (कमांक 1 स्न 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम-अमलीखेड़ा तहसील-सांवेर जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

श्री/श्रीमती/मेसर्स :- अर्थबून बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स प्रायवेट लिमिटेड तर्फे
डायरेक्टर श्री अमित सिंह नामदेव
पिता श्री महेन्द्र सिंह नामदेव

पता :- 301, 23-ई.एफ. स्कीम नंबर-54, विजय नगर, इन्दौर

कालोनी का नाम :- "ASHIRWAD GREENS"

ग्राम-अमलीखेड़ा तहसील-सांवेर जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर 61/1 रकबा 0.553 हे., 61/2 रकबा 1.265 हे., 61/3/1 रकबा 1.012 हे., 61/3/2 रकबा 0.253 हे., 61/4/1 रकबा 1.012 हे., 61/4/2/1 रकबा 0.1815 हे., 61/4/2/2 रकबा 0.0715 हे., 61/5/1/1 रकबा 1.0337 हे., 61/5/1/2 रकबा 0.0563 हे. कुल किता 09 कुल रकबा 5.438 हे. भूमि पर "ASHIRWAD GREENS" कालोनी की उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन उपरांत आवासीय भूखण्डीय प्रयोजन हेतु कालोनी विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जाती है:-

कलेक्टर
कालोनी शाखा
जिला इंदौर

- 1- म. प्र. भूराजस्व संहिता 1959(20 सन् 1959) संशोधित नियम 2018 के उपबंधो के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिये लागू शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।
- 2- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु दी गई अनुज्ञा में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 3- यदि लागू हो तो नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 एवं शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के उपबंधो का पालन करना होगा।
- 4- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर के पत्र-क्रमांक/ 2316/एस.पी.-आई-85/23/नग्रानि/2024 इन्दौर दिनांक 10/6/2024 के अनुसार विकास /निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित 23(E-1 से E-23) भूखण्ड एवं निम्न आय समूहों के लिये आरक्षित 18(L-1 से L-16, एवं L-18, L-19) भूखण्डों को पहली प्राथमिकता नियमानुसार देनी होगी। निम्न आय समूहों हेतु स्वीकृत भूखण्डों में L-17 का अंकन नहीं किया गया है। अतः आपके द्वारा भूखण्ड क्रमांक L-17 का विक्रय नहीं किया जावेगा।
- 5- म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित उपबंधो का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 6- म.प्र. राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2022 में प्रकाशित म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 3 (तीन) में उल्लेखित “शासकीय निर्माण कार्य/रहवासी कालोनी, बहुमंजिला इमारत के विकास में, शासकीय ठेकेदार/बिल्डर द्वारा विधिमान्य खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के बिना गौण खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा” उपबंध का पालन करना अनिवार्य होगा।

अपर कलेक्टर
कालोनी मेल शाखा
जिला इन्दौर

7- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर के पत्र-क्रमांक/ 2316/एस.पी.-आई-85/23/नग्रानि/2024 इन्दौर दिनांक 10/06/2024 से अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर विकास अनुमति जारी की गई है। विकास अनुमति प्रदाय करने के पश्चात् यदि आपके द्वारा उक्त अभिन्यास में कोई संशोधन नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत करवाया जाता है तो उसके लिये पृथक से संशोधित विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत ही विकास एवं निर्माण कार्य मान्य होगा। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर के पत्र-क्रमांक/ 2316/एस.पी.-आई-85/23/नग्रानि/2024 इन्दौर दिनांक 10/06/2024 से स्वीकृत अभिन्यास एवं विकास अनुमति की शर्तों के विपरीत कार्य किये जाने पर विकास कार्य पूर्णता प्रदाय नहीं की जावेगी।

09- विषयांकित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित वर्तमान मार्ग को नियोजन की दृष्टि से 30.0 मीटर प्रस्तावित रखते हुए मार्ग से दोनों ओर 15.0/15.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु भूमि खुली छोड़ना आवश्यक होगा तथा साथ ही मार्ग एवं मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ी गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा।

10-भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूची की कंडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्ग मीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्ग मीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ523/2003/32 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में

अपर कलेक्टर
कालोनी पेल शाखा
जिला इन्दौर

उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 801(ई) दिनांक 07 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है, तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State Of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस करना आवश्यक होगा।

11-रालामण्डल अभ्यारण की सीमा से 10 किलोमीटर की सीमा तक अर्थात् वर्तमान ईकोसेन्सेटिव झोन में स्थित होने पर माननीय सुप्रीमकोर्ट के ईकोसेन्सेटिव झोन के संबंध में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 के पालन में आवेदित कॉलोनी का टाउनशीप एण्ड एरिया डेवलेपमेंट रकबा 50.00 हे. से अधिक और या बिल्टअप एरिया 150000 वर्गमीटर से अधिक को नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड/स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल वाईल्ड वाईड के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12-आपके द्वारा भुगतान किये गये कॉलोनी अनुज्ञा शुल्क एवं अतिरिक्त आश्रय शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जावेगी।

13-नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियां ली जाना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तों का पालन करना होगा।


अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

14- कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

15- आवेदक को विकास कार्य म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी/लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मापदण्डों के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

16- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2, इन्दौर के पत्र-क्रमांक 1850/त.शा./2024-25 इन्दौर, दिनांक 26/09/2024 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

- आवेदित कालोनी के गार्डन क्षेत्र में गार्डन विकसित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जावेगा।
- आवेदित कालोनी के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही सड़क निर्माण कार्य किया जावेगा।
- सड़क के बगल में वृक्षारोपण, बच्चों के खेल का मैदान 4.5 फिट ऊँची चहारदीवारी के साथ निर्माण कार्य किया जावेगा।
- अवलोकित कॉलोनी की बाहर सीमा तक ग्राम की विद्यमान सड़क के बीच नई सड़क(पहुंच मार्ग) का निर्माण किया जावे। 2 हेक्टर से कम की कॉलोनी के लिये न्यूनतम चौड़ाई 3.75 मीटर मार्ग तथा 6.00 मीटर सड़क मार्ग। अन्य के लिये 7.00 मीटर विभाजित वहन मार्ग तथा सड़क के दोनों ओर 1.80 मीटर का स्कन्ध का निर्माण किया जावे।

17- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, मूसाखेडी, इन्दौर के पत्र-क्रमांक 3691/तक./का.यं./लो.स्वा.यां. खण्ड/2024-25 इन्दौर, दिनांक 27.09.2024 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

- आवेदित कालोनी की उच्चस्तरीय टंकी, सम्पवेल एवं एस.टी.पी. सर्विस एरिया में ही बनाई जाना अनिवार्य होगा।

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

- उच्चस्तरीय टंकी की स्टेयर केस बालकनी तक आर.सी.सी. की बनाना एवं स्टेयर केस के दोनो ओर रेलिंग लगाना होगा।
- जल-मल के समस्त कार्य CPHEEO Mannual के साथ कराया जाना अनिवार्य होगा।

18- कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी179092024ए11222518 इंदौर दिनांक 10.10.2024 एवं संशोधित बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी71जीआर1753 2024ए100059738 दिनांक 12.12.2024 से भूखण्ड क्रं0 13 से 19, 23, 24, 43 से 50, 59 से 63, 74 से 81, 92 से 105, 114, 115, 135, 136, 171 से 174, 193 से 201, 209 से 218, 226 से 233, 266 से 268 एवं सी-1 इस प्रकार कुल 83 भूखण्ड है जिसका कुल क्षेत्रफल 7734.98 वर्गमीटर भूमि बंधक रखे गये है। उक्त भूखण्डों को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जावेगा।

19- आपके द्वारा प्रस्तुत नोटरीज्ड शपथ-पत्र क्रमांक 11050/2024 दिनांक 02.08.2024 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- प्रोजेक्ट के रेरा पंजीयन अनुमति होने तक आपके द्वारा कोई भूखण्ड विक्रय नहीं किया जावेगा एवं ना ही प्री-लॉच हेतु प्रस्ताव किया जावेगा।
- प्रोजेक्ट के सभी मानचित्र/ब्रोशर एवं विज्ञापन में टी0एन0सी0पी0 से प्राप्त ले-आउट स्वीकृति क्रमांक, विकास अनुमति का क्रमांक एवं रेरा का पंजीयन क्रमांक दिया जावेगा।
- इस प्रोजेक्ट के समस्त भूखण्ड का विक्रय रेरा में पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही किया जावेगा।
- आपके द्वारा डायरी पर एवं अन्य किसी भी अवैधानिक दस्तावेज के माध्यम से प्लॉट का विक्रय नहीं किया जावेगा।

अपर कलेक्टर
कालोनी जल शाखा
जिला इंदौर

- 20- आवेदित भूमि के समीपस्थ शासकीय/नाला/नदी/मंदिर/रास्ता/चरनोई /एम. पी. हाउसिंग बोर्ड या अन्य मद की भूमि हो तो उस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण नहीं किया जा सकेगा। अतिक्रमण किये जाने पर यह अनुमति निरस्त की जा सकेगी।
- 21- अनुमति जारी दिनांक के समय किसी न्यायालय में वाद लंबित/प्रचलित होने की दशा में यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 22- राज्य शासन द्वारा अधिरोपित नियमों के अधीन एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक दी जा रही अनुमति के विपरीत विकास कार्य करता है या उनके द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी तथा कालोनी विकास की दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
- 23- संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा एवं भवन अनुज्ञा निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अधिकारी विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 24- उपरोक्त कालोनी में सड़क के बगल में वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा एवं 4.5 फीट ऊँची चहारदीवारी के साथ बच्चों के गार्डन/खेल मैदान का निर्माण अनिवार्यतः करना होगा।
- 25- आवेदित कालोनी के गार्डन क्षेत्र में गार्डन विकसित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जावेगा तथा रोड के किनारे एवं गार्डन में फलदार व छायादार (जैसे नीम, आम, पीपल, जामुन, आंवला इत्यादि) वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- 26- म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 18(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

प्रक्रिया अपनाती होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल, विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

27- ऐसी कॉलोनियों में जिनमें पहुँच मार्ग शासकीय भूमि पर प्रस्तावित मास्टर प्लॉन की रोड़ द्वारा दर्शाया गया है के संबंध में, जनसामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1986/का.से./2024 इन्दौर दिनांक 05/06/2024 अनुसार यदि कोई कॉलोनाईजर शासकीय भूमि पर प्रस्तावित मास्टर प्लान की रोड़ पर निर्माण स्वयं के व्यय से करना चाहता है तो वह अपर कलेक्टर कॉलोनी सेल जिला इन्दौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय भूमि पर मास्टर प्लान की रोड़ बनानी की अनुमति प्राप्त कर सकेगा। उक्त के तारतम्य में यदि आपकी कॉलोनी का पहुँच मार्ग शासकीय भूमि पर प्रस्तावित मास्टर प्लॉन की रोड़ द्वारा तथा आप उसका निर्माण करना चाहते हैं तो आप उक्त आदेशानुसार अपर कलेक्टर कॉलोनी सेल जिला इन्दौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त सड़क का निर्माण कर सकते हैं।

28- कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश क्रमांक 3336/का.से./2024 इन्दौर दिनांक 13/8/2024 द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 (4) (ड.), मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत(कालोनियों का विकास) नियम, 2014 का नियम 18 (2) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 19 के अनुसार-कालोनाईजर द्वारा कालोनी को रहवासी कल्याण समिति को अंतरति किया जाना बाध्यकारी होने से, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आबंटित क्षेत्राधिकार में रहवासी कल्याण संघों के पंजीयन एवं नियमन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः आपको आवेदित कालोनी का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से रहवासी कल्याण संघ का गठन कर कालोनी को रहवासी कल्याण समिति को अंतरति किया जाना अनिवार्य होगा।

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

29- आपके द्वारा प्रस्तुत टीएण्डसीपी अभिन्यास अनुसार आवेदित कॉलोनी में शॉप कम रेसिडेंसियल हेतु आरक्षित रखे गये भूखण्डों का उपयोग आवासीय सह वाणिज्यिक रखना अनिवार्य होगा तथा उक्त भूखण्डों पर पूर्णतः गैरआवासीय (औद्योगिक/वाणिज्यिक) उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त भूखण्डों के विक्रय के समय उक्त शर्त का उल्लेख विक्रय पत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।

30- आपके द्वारा आवेदित कालोनी हेतु पहुंच मार्ग ग्राम-अमलीखेडा के सर्वे नं. 52 रकबा 8.50 एकड़(3.439 हे.) चरनोई मद में है, में से दर्शाया गया है। उक्त सर्वे क्रमांकों को चरनोई मद से रास्ते मद में व्यपवर्तन कराया जाना अनिवार्य होगा तथा विकास कार्य पूर्णता से पूर्व उक्त शासकीय भूमि का मद परिवर्तन का आदेश एवं खसरा इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31- विकास की अनुज्ञा में उल्लेखित भूमि के स्थल एवं स्वत्व सम्बंधी वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होने की दशा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, योजना में समाविष्ट भूमि, आवेदक द्वारा विकास की अनुमति हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जिसमें कालोनी का रजिस्ट्रेशन, भूमि व व्यपवर्तन की अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

क्रमांक/739/अ0क0री0/का0से0/2024

प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर कलेक्टर,

जिला इंदौर

इन्दौर, दिनांक 16/08/25

- 3- अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-सांवेर, जिला-इंदौर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि प्रदत्त अनुज्ञा में दी गई शर्तों के पालन के सम्बंध में स्थल निरीक्षण करें एवं विकासकर्ता से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार, तहसील-सांवेर की ओर प्रेषित कर लेख है कि, आवेदित भूमि के आसपास की शासकीय भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण निर्माण/संरचना एवं विकास कार्य नहीं किये जाने संबंधी निरीक्षण व निगरानी समय-समय पर की जावेगी।
- 5- वरिष्ठ पंजीयक जिला-इंदौर की ओर सूचनार्थ।
- 6- जिला-पंजीयक इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी179092024ए11222518 इंदौर दिनांक 10.10.2024 एवं संशोधित बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी71जीआर1753 2024ए100059738 दिनांक 12.12.2024 से भूखण्ड क्रं0 13 से 19, 23, 24, 43 से 50, 59 से 63, 74 से 81, 92 से 105, 114, 115, 135, 136, 171 से 174, 193 से 201, 209 से 218, 226 से 233, 266 से 268 एवं सी-1 इस प्रकार कुल 83 भूखण्ड है जिसका कुल क्षेत्रफल 7734.98 वर्गमीटर भूमि बंधक रखे गये है। अतः बंधकनामा अनुसार 83 भूखंडों की खरीदी, बिक्री व रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना सक्षम अनुमति के नहीं की जावे।
- 7- सचिव ग्राम पंचायत-अमलीखेड़ा तहसील-सांवेर जिला-इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- आवेदक अर्थबून बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर श्री अमित सिंह नामदेव पिता श्री महेन्द्र सिंह नामदेव पता:- 301, 23-ई.एफ. स्कीम नंबर-54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) की ओर पालनार्थ।

अपर कलेक्टर,
जिला इंदौर
कालोनी सहायक शाखा
जिला इंदौर